न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी– श्री राजपाल यादव आर.ए.एस. उप उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मु0नं0	किस्म	ता0दायरा	तारीख निर्णय
62/15	दावा	18.09.15	15.02.18

1. रामेश्वरी पुत्री कंचन पत्नि रघुवर जाति मीना निवासी बीजलपुर हालवासी लोकश नगर तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।
2. रामफूली पुत्री कंचन पत्नि धनजी जाति मीना निवासी परीता हालवासी लोकेश नगर तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–वादीगण

बनाम

1. प्रकाशी पत्नि रजनेश जाति मीना निवासी भूत्यापुरा तहसील सपोटरा जिला करौली।
2. रामनाथी बेवा श्रीलाल जाति मीना निवासी लोकश नगर तहसील सपोटरा जिला करौली
3. शाखा प्रबन्धक पी.एन.बी. शाखा सपोटरा जिला करौली।
4. उपपंजीयक सपोटरा जिला करौली।
5. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील सपोटरा जिला करौली राज0।

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53,88,188 आर.टी.एक्ट

उपस्थितः– श्री राजाराम मीना वकील वादीगण।
श्री शेरसिह वकील प्रतिवादीगण।

संक्षेप में वाद तथ्य वादीयागण इस प्रकार से है कि वादीयागण ने एक वाद पत्र इस आशय का पेश किया है कि आराजीयात खसरा नं0 36 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नं0 30 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नं0 252 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नं0 254 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 04 बीघा 02 बिस्वा वाके मौजा लोकेश नगर वादीयागण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की है। वाद पत्र मे दर्ज पारिवारिक सजरा के अनुसार हीरालाल के दो संतान कंचन एवं श्रीलाल थे। कंचन मे मात्र दो लडकी रामफूली व रामेश्वरी हुई। श्रीलाल के एक पुत्री प्रकाशी है। श्रीलाल की वारिशान प्रतिवादी सं0 1 व 2 है। कंचन के वारिशान हम वादीयागण है। वादीयागण के कोई भाई नही है। इसलिए वादीयागण ही उक्त पुश्तैनी खातेदारी की आराजीयात को जोतते बोते एव फसल काश्त करते चले आ रहे है। दीगर अन्य व्यक्तियों का कोई लेना देना नही है। उक्त आराजीयात सम्वत् 2045 से 2048 मे वादीयागण के पिता कंचन पुत्र हीरालाल की खातेदारी की थी लेकिन प्रतिवादी सं0 2 के पति श्रीलाल ने राजस्व कर्मचारियों से साज करके अपने नाम से करा ली थी जो कि कानूनन गलत है। क्योंकि कंचन के वारिशान एक मात्र वादीयागण ही है। प्रतिवादी सं0 1 को उक्त आराजीयात मे से प्रतिवादी सं0 2 के पति ने बेचान भी कर दिया है जो कि गलत है। दिनांक 9.9.2015 को वादीयागण की जानकारी मे आने पर ग्राम लोकेशनगर (बीलखो) मे गांव के पंच पटेल इकट्ठे किये गये जिसमे यह निर्णय लिया गया कि उक्त आराजीयात हम वादीयागण की है। दिनांक 9.9.2015 को वादीयागण ने अपने पिता की आराजीयात को नाम कराने एवं खाता अलग कराने की प्रतिवादीगण से कहा तो इंकार हो गये और कहने लगे कि तुम्हारे नाम कोई जमीन नही करायेगें, ना ही तुम्हे जमीन देगें। इसलिए वादीयागण ने उक्त आराजीयात को अपने नाम घोषणा खातेदारी किये जाकर बंटवारा कराकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।

दावा वादीयागण दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी सं0 3 बावजूद तामील उपस्थित नही आये है इसलिए इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने उपस्थित होकर जरिये वकील जवाब दावा पेश कर कथन किया है कि श्रीलाल के दोनो पुत्री रामफूली व रामेश्वरी की शादी उनके पिता कंचन ने अपने जीवनकाल मे ही कर दी थी तथा कंचन की बुजूर्ग अवस्था होने

Scanned by CamScanner

कारण कंचन का सेवा चाकरी करने का अन्य कोई जरिया नही होने के कारण दिनांक 21.
992 को अपनी पूर्ण होश हवास व राजीखुशी से अपना छोटे भाई श्रीलाल पुत्र हीरालाल के
अपनी चल व अचल सम्पति की रजिस्टर्ड वसीयत करवा दी थी। उसके उपरान्त
यागण के पिता कंचन की सेवा चाकरी व वादीयागण के भात जागणें का हर्जा खर्चा
लाल ने ही वहन किया था और आज तक श्रीलाल ही मानता चीनता चला आ रहा है।
यतनामा पर गवाह के रूप मे वादीया नं0 2 जो कि कंचन की पुत्री है, के अंगूठा निशानी
क्त है। इससे स्पष्ट जाहिर है कि कंचन ने अपनी पुत्री यानि कि वादीयागण की सहमति
सियतनामा अपने छोटे भाई श्रीलाल के पक्ष मे तस्दीक कराया था जो कि सही एवं सत्य
इसलिए वाद पत्र खारिज होने योग्य है। कंचन की समस्त आरजीयात का कंचन की मृत्यु
जाने के बाद 19.5.1992 को जरिये वसीयतनामा श्रीलाल के पक्ष मे नामा0 खोल दिया
। उसके बाद श्रीलाल ने अपनी सम्पत्ति मे से अपना हर्जा खर्चा चलाने के लिए खसरा
252 व 254 को दिनांक 17.01.2014 को मुझ प्रति0 सं0 1 को बयनामा करा दिया। उक्त
नामा को केन्सिलेशन व वसीयत को निरस्त करने का श्रीमान्जी को कोई हक हासिल नही
के कारण दावा खारिज होने योग्य है। श्रीलाल के फोत हो जाने के उपरान्त श्रीलाल की
न रामनाथी प्रतिवादी सं0 2 ने श्रीलाल के पुत्र नही होने के कारण अपनी पुत्री प्रकाशी
न रजनेश मीना निवासी भूत्यापुरा के पक्ष मे दिनांक 10.9.2015 को बची हुई समस्त आराजी
हकत्याग कर दिया। इसलिए वाद पत्र खारिज होने योग्य है।

वाद तथ्य, जवाबदावा एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर किता 6
कीयात कायम की गई। साक्ष्य में वादीया रामफूली, रामेश्वरी एवं गवाह रामनाथ, बाबूलाल
शपथ पत्र पेश किये जिनसे जिरह रिकार्ड की गई। दस्तावेजी साक्ष्य मे वादीयागण ने
मबंदी नकल सम्बत् 2045–48, सम्बत् 2065–68, फोटो प्रति पंचनामा, मिलान क्षैत्रफल पेश
ये है। प्रतिवादीगण ने साक्ष्य मे प्रतिवादी प्रकाशी व रामनाथी तथा गवाह रस्सीलाल, रामधन
शपथ पत्र पेश किये जिनसे जिरह रिकार्ड की गई तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे वसीयतनामा,
क त्याग एवं नकल जमाबंदी की फोटोप्रति पेश किये है। बहस उभय पक्षकारान के
धिवक्तागण की सुनी गई। समस्त पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्षकारान की बहस पर
न करने के पश्चात् तनकीवाईज विवेचन निम्नानुसार हैः–

1. **आया आराजी विवादित वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है ?** इस तनकी को साबित करने का भार वादीयागण पर है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संबत् 2065–68 विवादित भूमि प्रकाशी पुत्री श्रीलाल जाति मीना के नाम पर खातेदारी मे दर्ज है। इसलिए यह तनकी विरूद्व वादीगण निर्णीत की जाती है।
2. **आया विवादित आराजीयात सम्बत् 2045 से 2048 मे वादीयागण के पिता कंचन पुत्र हीरालाल की खातेदारी की थी लेकिन प्रति0 सं0 2 के पति श्रीलाल ने राजस्व कर्मियों से साज करके अपने नाम कराली गई जो कि कानूनन गलत है क्योंकि कंचन के एक मात्र वारिशान हम वादीयागण है, इसलिए वादीयागण उक्त आराजीयात की घोषणा खातेदारी अपने नाम कराने की अधिकारी है ?** इस तनकी को साबित करने का भार वादीयागण पर है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्बत् 2045–48 विवादित आराजीयात कंचन पुत्र हीरालाल के नाम दर्ज थी जो रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर कंचन के फोत होने पर जरिये नामान्तरकरण सं0 720 दिनांक 19.05.1992 श्रीलाल पुत्र हीरालाल के नाम पर दर्ज की गई है। श्रीलाल के नाम पर उक्त भूमि उप पंजीयक कार्यालय मे रजिस्टर्ड वसीयत के अनुसार दर्ज की गई है। अतः राजस्व कर्मियों के साथ साज करके श्रीलाल द्वारा भूमि अपने नाम पर कराने का आरोप निराधार है।

पुनश्च रजिस्टर्ड वसीयतनामे पर गवाह के रूप में वसीयतकर्ता कंचन की पुत्री रामफूली (वादी नं0 2) की अंगूठा निशानी अंकित है। इससे स्पष्ट है कि यह वसीयत कंचन ने अपनी पुत्री की सहमति से ही रजिस्टर्ड कराई है। रजिस्टर्ड वसीयत के अनुसार भूमि का हस्तान्तरण श्रीलाल के नाम होने के 22 वर्ष पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत करके घोषणा खातेदारी का दावा प्रस्तुत करने का कोई कारण वादीयागण ने न तो दावे मे अंकित किया है तथा न ही साक्ष्य मे अंकित किया है। रजिस्टर्ड वसीयत पर गवाह के रूप मे वादीया नं0 2 के हस्ताक्षर होना तथा 22 वर्षो पश्चात् दावा प्रस्तुत करना यह जाहिर करता है कि वादीयागण के पिता द्वारा जो वसीयत 1992 मे श्रीलाल के नाम पर की गई थी, उससे दोनो वादीयागण (वसीयतकर्ता की पुत्रियां) सहमत थी अतः वादीयागण विवादित भूमि की खातेदारी अपने नाम कराने की अधिकारी नही है। इसलिए यह तनकी विरूद्व वादीयागण निर्णीत की जाती है।

Scanned by CamScanner

3. **आया वादीयागण विवादित आराजीयात का बंटवारा कराकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने की अधिकारी है ?** इस तनकी को साबित करने का भार वादीयागण पर है। तनकी नं0 2 के विवेचन से यह स्पष्ट हो गया है कि वादीयागण विवादित आराजीयात की घोषणा खातेदारी अपने नाम कराने की अधिकारी नही है इसलिए बंटवारा कराने एव प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पावंद कराने की अधिकारी भी नही है। इसलिए यह तनकी भी विरूद्व वादीयागण तय की जाती है।

4. **आया विवादित आराजीयात वादीयागण के पिता कंचन ने अपने जीवनकाल मे ही अपने छोटे भाई श्रीलाल पुत्र हीरालाल मीना निवासी बीलखों को जरिये वसीयतनामा पंजीकृत करा दिया था इसलिए दावा वादीयागण खारिज होने योग्य है ?** इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। वसीयतनामा किसी व्यक्ति द्वारा अपने जीवनकाल मे कराया जा सकता है। अतः यह तनकी विरोधाभासी होने से विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।

5. **आया वादीयागण के पिता कंचन के छोटे भाई श्रीलाल ने उक्त आराजीयात मे से खसरा नं0 252 व 254 को प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष मे वयनामा कर दिया गया, उक्त वयनामा व वसीयत को निरस्त करने का श्रीमान् को क्षैत्राधिकार नही होने के कारण दावा वादीयागण खारिज होने योग्य है ? तनकी नं0 6:– आया श्रीलाल के फौत हो जाने के उपरान्त श्रीलाल की पत्नि प्रति0 सं0 2 ने अपनी पुत्री प्रकाशी पत्नि रजनेश मीना निवासी भूत्यापुरा को हक त्याग कर दिया गया है, जिसे निरस्त करने का क्षैत्राधिकार श्रीमान् को नही होने के कारण दावा वादीयागण खारिज होने योग्य है ?** उक्त दोनो तनकीयां नं0 5 व 6 का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। इन तनकीयो को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। उक्त दावा रजिस्टर्ड वसीयत व वयनामा/हकत्याग को निरस्त करने का नही होकर पिता की सम्पत्ति मे पुत्रियों के अधिकार को लेकर है जिनका निर्णय मैरिट पर किया जा रहा है, अतः ये दोनो तनकीयां विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।

उपरोक्त तनकीवाईज विवेचन के अनुसार वादीयागण विवादित आराजीयात घोषणा खातेदारी कराने की हकदार नही है। अतः दावा वादीयागण खारिज किया जाता है। र्णय खुले न्यायालय मे आज दिनांक 15.02.2018 को सुनाया जाकर लिखाया गया। इसी नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजपाल यादव आरएएस)
उप खण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली

Scanned by CamScanner